	<u>अपर जिला न्यायाधीश–XI वैशाली, हाजीपुर</u> प्रोवेट वाद संख्या–16 / 2008 इंदु देवी बनाम अजय कुमार और अन्य	
11.05.22	**आदेश** उभयपक्षो की ओर से पैरवी है। आवेदन दिनांक 25 / 02 / 2022 के आवेदन को संचालित करते हुए आवेदिका इंदु देवी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष कथन करते है कि पूर्व में न्यायालय द्वारा इच्छा पत्र दिनांक 18 / 06 / 2004 को प्रदर्श अंकित किया गया था परंतु इच्छा पत्र पर प्रदर्श मार्क अंकित नहीं किया जा सका था। जबकि हरदेव सिंह का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र लोक दस्तावेंज है। अतः आवेदन को स्वीकृत करते हुए उपरोक्त दस्तावेंजो पर प्रदर्श अंकित किया जाये। जबकि दूसरी ओर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता उक्त आवेदन का न तो कोई प्रतिउत्तर दाखिल किये है और न पुकार पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए है। जबकि आदेश पत्रक के आदेश दिनांक 10 / 11 / 2009 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इच्छा पत्र को प्रदर्श अंकित करने का आदेश किया गया है परंतु ईच्छा पत्र पर प्रदर्श अंकित नहीं किया गया है। अतः आज की तिथी में उक्त आदेश के आलोक में ईच्छा दिनांक 18 / 06 / 2004 हरदेव सिंह बनाम इंदु देवी पर प्रदर्श 01 अंकित किया जाता है तथा हरदेव सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र जो इस मामले से सुसंगत है तथा लोक दस्तावेज की श्रेणी का दस्तावेज है। अतः उसे साक्ष्य में स्वीकार करते हुए प्रदर्श 02 अंकित करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय अविलंब आवेदक की साक्षियों की गवाही खोजकर इस न्यायालय के समक्ष भेजे जाने हेतू विद्वान अपर जिला न्यायाधीश–षष्ठम के कार्यालय लिपिक को पत्र निर्गत करें। वाद दिनांक 26 / 05 / 2022 वास्ते आवेदक के साक्षियों की गवाही अभिलेख के साथ संलग्न करने हेतू। अ0 जिला न्यायाधीश–XI वैशाली, हाजीपुर **<u>This is Webpage not Official</u>**	